The Jharkhand Legislative Assembly (Officers Pay and Allowances) Act, 2001

Act 1 of 2001

Keyword(s):
Salary, Allowances, Daily Allowance, Entertainment Allowances, Medical Facilities

Amendments appended: 11 of 2006, 11 of 2003

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख, 1923 शकाब्द

संख्या 79

रांची, सोमवार 30 अप्रील, 2001

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 अप्रील, 2001

संख्या-एल०जी०-08/2001 लेज: 01—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 20 अप्रील, 2001 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड,
रांची।

[झारखण्ड अधिनियम 01, 2001]

झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001

झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

I. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—

1. यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

II. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन—

1. झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष को प्रतिमाह 3000/-(तीन हजार) रुपये को दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा ;

2. झारखण्ड विधान-मंडल के उपाध्यक्ष को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपये की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा ;

3. झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

III मोटर कार खरीदने के लिए अध्यक्ष को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना—

1. राज्य सरकार धारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-सभा के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए समय-समय पर मोटरकारों की खरीद और उपबंध ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ;

2. धारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी ऐसी रियायती दर पर और अन्य शर्तों पर प्रभार का भुगतान करके स्टॉफ कार के उपयोग करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "स्टाफकार" से अभिप्रेत है सरकारी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा अनुरक्षित कोई मोटरगाड़ी।

IV. राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ता—

धारा-2 में निर्देशित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारी लोक कारबार से दौरा करने पर राज्य के अन्दर 350/- (तीन सौ पचास) रुपये एवं राज्य के बाहर दैनिक भत्ता 500/- (पांच सौ) रुपये पाने के हकदार होंगे।

V. क्षेत्रीय भत्ता—

उक्त अधिनियम की धारा-2 में यथापरिभाषित राज्य विधान-मण्डल का कोई पदाधिकारी 4000/- (चार हजार) रुपये क्षेत्रीय भत्ता पाने का हकदार होगा।

VI. सत्कार भत्ता—

उक्त अधिनियम की धारा-2 में यथापरिभाषित विधान.सभा का कोई पदाधिकारी निम्न प्रकार से सत्कार भत्ता पाने का हकदार होगा : (क) अध्यक्ष : 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह, (ख) उपाध्यक्ष : 500 (पांच सौ) रुपये प्रतिमाह।

VII. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएँ—

धारा-2 में निर्देशित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारी और उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास-सुविधा के संबंध में ऐसी सुविधाओं और रियायतों के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें।

VIII. अध्यक्ष का आवास—

1. झारखण्ड विधान-मण्डल के अध्यक्ष बिना किराया के अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक एक महीना बाद तक रांची में तथा रांची के अलावा अन्य ऐसे स्थान में भी, जहां विधान-मण्डल का सत्र होता हो, सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।

2. ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।

3. इस धारा के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित और अनुरक्षित करने का खर्च उस पैमाने पर और उन आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत् शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है ।

IX. उपाध्यक्ष का निवास—

1. झारखण्ड विधान-मण्डल का उपाध्यक्ष किराया दिए बिना निम्नलिखित के उपयोग करने के हकदार होंगे :

(क) रांची में अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक बाद पन्द्रह दिनों की अवधि तक एक सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे ।

(ख) किसी अन्य स्थान पर जहाँ झारखण्ड राज्य के विधान-मंडल का सत्र आयोजित हो, उसके दौरान, और सत्र के पूर्व एक सप्ताह और बाद में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए एक सुसज्जित निवास अथवा ऐसे निवास के बदले प्रतिमाह एक सौ रुपये की दर से आवास भत्ता देय होंगे ।

2. इस धारा के अधीन उपबंधित किसी निवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान-मंडल के उपाध्यक्ष पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा ।

3. इस धारा के अधीन उपबंधित निवास की साज-सज्जा और अनुरक्षण पर ऐसे पैमाने और ऐसी वित्तीय सीमाओं के अधीन खर्च किया जायगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत्शक्ति और जल की आपूर्ति सम्मिलित है ।

X. राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि से संबंधित अधिसूचनाएं जो उसके निश्चायक साक्ष्य होंगी :

जिस तारीख को कोई व्यक्ति धारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-मंडल का पदाधिकारी हो जाय या पदाधिकारी न रह जाय, उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा और ऐसी कोई अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस तारीख को राज्य विधान मंडल का पदाधिकारी हुआ या पदाधिकारी नहीं रह गया ।

XI. नियम बनाने की शक्ति—

1. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी ।

2. विशिष्टत: और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के भत्ते को अवधारित करने हेतु नियम बना सकेगी :

(क) उक्त अधिनियम की धारा-2 में उल्लिखित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों को मोटरकार खरीदने के लिए अग्रिम तथा सरकारी भत्ता का दिया जाना।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा-2 में उल्लिखित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों को यात्रा और दैनिक भत्ता ।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा-2 में उल्लिखित राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों को क्षेत्रीय भत्ता ।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा-2 में उल्लिखित राज्य विधान-मंडल के पदाधिकारियों को सत्कार भत्ता।

(ङ) अन्य भत्ते।

3. इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलोकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, रांची द्वारा प्रकाशित तथा
सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची द्वारा मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 79—500+500—शशि मुण्डा।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 382 11 अग्रहायण 1925 शकाब्द
राँची, मंगलवार 2 दिसम्बर, 2003

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2003

संख्या-एल०जी०-11/2003-52 लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल 28 नवम्बर, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान-मंडल के
पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003
[झारखण्ड अधिनियम 11, 2003]

झारखण्ड विधान-मंडल, पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 54वें (चौवनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ --
   (i) यह झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह अधिनियम दिनांक 16 सितम्बर, 2002 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-IV का संशोधन-(1) झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 (झारखण्ड अधिनियम 01, 2001) में प्रयुक्त शब्द 'दैनिक भत्ता' के स्थान पर शब्द 'प्रभारी भत्ता' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. *झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 की धारा-VII का संशोधन --*

झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम 2001 की धारा-VII में विधान-मंडल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 'चिकित्सा भत्ता' के रूप में, के पश्चात् शब्द 'प्रतिमाह' समाविष्ट किया जायेगा ।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति -- (1) झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (झारखण्ड अध्यादेश, 03, 2003) के द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश प्रसाद सिन्हा,
सरकार के प्रभारी सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 382-300+400--शनि मुण्डा ।

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 103 — 8 फाल्गुन, 1927 शकाब्द
रॉंची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-8/2001-35/लेज०--झारखण्ड विधान मण्डल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 11, 2006]

झारखण्ड विधान-मंडल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001

झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम:-

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
   (i) यह झारखण्ड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम-01 की धारा-IV का संशोधनः**--झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा IV के द्वितीय पंक्ति में शब्द समूह जोड़े जायेंगे ।

"हवाई यात्रा एवं जलपोत से यात्रा करने के समय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी ।"

3. झारखण्ड अधिनियम-2001 (अधिनियम संख्या-01, 2001) की धारा-(V) का संशोधनः--झारखण्ड विधान मण्डल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) में क्षेत्रीय भत्ता में परिवर्त्तन कर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए "4000/- (चार हजार) रु०" के स्थान पर "8000/- (आठ हजार) रु०" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. झारखण्ड अधिनियम-01, 2001 की धारा-VI कंडिका-'क' एवं 'ख' का संशोधनः--झारखण्ड विधान मण्डल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा-VI की कंडिका-'क' में अंक "8,000/- (आठ हजार)" रुपये के स्थान पर "11,000/- (ग्यारह हजार)" रुपये एवं धारा-VI की कंडिका-'ख' में अंक "5,000/- (पाँच हजार)" रुपये के स्थान पर "8,000/- (आठ हजार)" रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

5. झारखण्ड विधान मण्डल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-01, 2001) की धारा-VII में (यथा संशोधित द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2002, झारखण्ड अधिनियम-15, 2002) की धारा-VII में "विधान-मण्डल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को चिकित्सा भत्ता के रूप में "2000/- (दो हजार) रु०" के स्थान पर "3000/- (तीन हजार) रु०" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 103--300+400--शनि मुण्डा ।